वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन
नई दिल्ली–110011

सब्सिडीरोधी / प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी जांच

आवेदन प्रपत्र

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

प्रस्तावना

इस प्रकाशन में प्रतिसंतुलनकारी उपाय लागू करने के लिए सब्सिडीरोधी/प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी जांच की मांग करने वाले आवेदन दायर करने के लिए प्रपत्र तथा दिशानिर्देश निहित है।

प्रतिसंतुलनकारी उपाय प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के रूप में होता है जिसे यह निर्धारण करने के बाद ही लगाया जाना होता है कि :

(क) सब्सिडी विशिष्ट सब्सिडी है
(ख) सब्सिडी निर्यात निष्पादन से संबंधित है ।
(ग) सब्सिडी निर्यात वस्तु में आयातित वस्तु की तुलना में घरेलू वस्तु के उपयोग से संबंधित है ।
(घ) सब्सिडी को वस्तु के विनिर्माण, उत्पादन या निर्यात में संलग्न सीमित व्यक्तियों को प्रदान किया गया है ।

सब्सिडी को उस स्थिति में विद्यमान कहा जाएगा :

(क) यदि निर्यातक देश के क्षेत्र के भीतर सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा कोई वित्तीय अंशदान उपलब्ध है अर्थात जहां–

(i) सरकार द्वारा निधियों का सीधे हस्तांतरण (अनुदानों, ऋणों तथा इक्विटी सहित) होता है;
(ii) सरकारी राजस्व जो अन्यथा बकाया है, जिसका अधित्याग हो गया है और वसूली नहीं की गई है (वित्तीय प्रोत्साहन, आयकर छूट सहित)
(iii) सरकार सामान्य अवसंरचना से इतर मुफ्त या रियायती दरों पर वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करती है ।

(ख) कोई सरकारी अनुदान या आय अथवा कीमत सहायता का कोई स्वरूप जिसका प्रचालन उनके क्षेत्र सहित किसी वस्तु के निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किया जाता है ।

प्रतिसंतुलनकारी उपायों को लागू करने हेतु अनुरोध करने वाले आवेदकों से आशा की जाती है कि वे इस प्रपत्र और उसके प्रत्येक भाग में दी गई पाद टिप्पणियों के अनुसार सूचना सहित पूर्णतः प्रलेखित आवेदन प्रस्तुत करें । इस प्रकार से प्रस्तुत सूचना भरोसेमंद स्रोतों से ली जानी चाहिए । जहां अपेक्षित हो आवेदकों को प्रस्तुत आंकडों तथा तथ्यों की पुष्टि करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करनी चाहिए ।

निदेशालय के अधिकारी सब्सिडीरोधी जांच की प्रक्रिया को शासित करने वाले नियमों में की गई अपेक्षा के अनुसार पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध का प्रथमदृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पूर्णतः प्रलेखित याचिका को पूर्ण करने में अपेक्षित किसी सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे ।

सामान्य

1. आवेदक को सलाह दी जाती है कि वह कोई याचिका दायर करने से पूर्व सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क, 9 ख, और 9ग तथा सीमाशुल्क टैरिफ (प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का अभिज्ञान, उसका निर्धारण एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे सब्सिडीरोधी नियमावली कहा गया है) से स्वयं को वाकिफ कर लें ।

2. नियम 6 के उप नियम (4) में किए गए उपबंध को छोड़कर निर्दिष्ट प्राधिकारी नियम 6 के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से समुचित ढंग से प्रलेखित आवेदन के प्राप्त होने पर ही किसी वस्तु के आयात के संबंध में किसी आरोपित सब्सिडी की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव के निर्धारण हेतु जांच शुरू करेंगे । घरेलू उद्योग के आधार के बारे में पर्याप्त साक्ष्य जांच शुरूआत की पूर्वापेक्षा होगी ।

3. नियम 6(3)(ख) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए आवेदन में प्रदत्त साक्ष्य की सत्यता और पर्याप्तता की जांच करने और इस बात के प्रति स्वयं को संतुष्ट करना अपेक्षित है कि सब्सिडी, क्षति और सब्सिडीशुदा आयातों तथा आरोपित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है ताकि जांच की शुरूआत न्यायोचित ठहराई जा सके ।

4. अतः इस निदेशालय के रिकॉर्ड में तब तक कोई याचिका दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि वह पूर्णतः प्रलेखित न हो और आवेदक द्वारा उसमें उल्लिखित समस्त सूचनाएं प्रस्तुत न की गई हों । यदि आवेदन दायर करने में कोई समस्या आती है तो इस निदेशालय के अधिकारियों से सहायता हेतु संपर्क किया जा सकता है । आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन हर तरह से पूर्ण है और पूर्णतः प्रलेखित है ताकि इसे प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में लिया जा सके और आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सके ।

5. आवेदन में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित को विशिष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए:

   (i) आयातित उत्पाद के बारे में सूचना;
   (ii) घरेलू उद्योग तथा घरेलू बाजार के बारे में सूचना
   (iii) आयातों पर सब्सिडी का साक्ष्य
   (iv) क्षति का साक्ष्य; और

(V) कारणात्मक संबंध का साक्ष्य

6. सब्सिडीरोधी जांच हेतु आवेदन करते समय निम्नलिखित अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए :–

(i) आवेदक (कों) द्वारा सूचना प्रस्तुत करते समय आंकड़ों के स्वरूप का उल्लेख किया जाना चाहिए ।

(ii) एम एस – वर्ल्ड/ एम एस एक्सल सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए आवेदन की सॉफ्ट कॉपी भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

(iii) आवेदन में प्रस्तावित जांच अवधि और पूर्ववर्ती 3 वर्षों से संबंधित सूचना एवं आंकडे अनिवार्यतः निहित रहने चाहिए । जांच अवधि एवं पूर्ववर्ती वित्त वर्षों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए परंतु वे एक–दूसरे के अभिभावी हो सकते हैं । पूर्ववर्ती 3 वर्षों के आंकड़ों का उपयोग क्षति निर्धारण हेतु प्रवृति के विश्लेषण में किया जाएगा ।

(iv) सब्सिडी, क्षति एवं ऐसे सब्सिडीशुदा आयातों तथा आरोपित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को प्रदर्शित करने के लिए आवेदन में प्रस्तुत सूचना अनिवार्यतः सब्सिडीरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6 (2) में यथापेक्षित साक्ष्य द्वारा समर्थित होनी चाहिए ।

7. गोपनीय सूचना : नियम 8 में किसी हितबद्ध पक्षकार को गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति है । ऐसी सूचना जो गोपनीय प्रकृति की है (उदाहरणार्थ जिसके प्रकटन से किसी प्रतिस्पर्धी को पर्याप्त प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा अथवा इसके प्रकटन से सूचना प्रदाता व्यक्ति अथवा जिस व्यक्ति से सूचना प्राप्त की गई है उस व्यक्ति पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा) को बेहतर हेतु दर्शाए जाने पर उसे गोपनीय ही माना जाएगा। निर्यात कीमत, लागत निर्धारण, लाभप्रदता, कीमत निर्धारण में विशिष्ट समायोजनों से संबंधित साक्ष्य ऐसी सूचना के उदाहरण हैं जिन्हें सामान्यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा गोपनीय रूप में स्वीकार किया जाता है । यदि ऐसे किसी अन्य पहलू, जो सामान्यतः उपर्युक्त मानदंड के अनुरूप नहीं है, के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो आवेदक को इस आशय के कारणों का एक संक्षिप्त विवरण देना चाहिए कि उक्त विशिष्ट सूचना को गोपनीय रखा जाना क्यों जरूरी है । यदि ऐसी सूचना गोपनीय होने के दावे के कोई कारण दर्ज किए बिना गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की जाती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं । यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना

और पूरक सूचना के प्रत्येक पृष्ठ पर ''गोपनीय'' का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, ऐसा न करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सभी दस्तावेजों/तर्कों/अनुरोधों या पत्र व्यवहार के साथ सार्थक अगोपनीय सारांश अवश्य संलग्न होना चाहिए, ऐसा न करने पर ऐसे पत्र व्यवहार को कानून में निर्धारित समय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी सूचना प्रदाता को आगे कोई पत्र लिखे बिना ध्यान में नहीं लिया जा सकता है। प्रदान किए गए सारांश पर्याप्त विस्तार में होने चाहिए ताकि गोपनीय रूप में प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके । आपवादित परिस्थितियों में, जहां कोई विशेष सूचना का सारांश संभव न हो, वहां इस आशय के कारणों का एक विवरण प्रदान किया जाना चाहिए कि सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है ।

8. आवेदन को उसके अगोपनीय रूपांतरण के साथ दो प्रतियों में प्रस्तुत करना अपेक्षित है । तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच की शुरूआत से पूर्व अथवा जांच की कार्रवाई के दौरान किसी समय अतिरिक्त प्रतियों की मांग कर सकते हैं ।

9. निर्दिष्ट प्राधिकारी सब्सिडीरोधी नियमावली के अनुसार, आवेदक (अथवा किसी अन्य पक्षकार) द्वारा अगोपनीय आधार पर प्रस्तुत कोई सूचना अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान कर सकते हैं ।

10. आवेदन में संलग्न प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे के अनुसार सूचना निहित होनी चाहिए । संलग्न प्रपत्र भरा हुआ प्रपत्र नहीं है और इसलिए इसे प्रश्नावली माना जाना चाहिए । प्रपत्र में ऐसी कोई सूचना भी दी जानी चाहिए कि जो महत्वपूर्ण हो सकती है भले ही प्रपत्र में इसका उल्लेख न हो ।

11. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे जांच की प्रस्तावित अवधि के बारे में सूचना प्रदान करने की समयावधि का ध्यान रखें । सूचना प्रस्तुत करने के लिए चुनी गई समयावधि अधिमानतः 4 वित्तीय तिमाहियों को शामिल करते हुए 12 माह या अधिक होनी चाहिए । यदि अपेक्षित हो, तो यह अवधि हाल की और घरेलू उद्योग के लेखा वर्ष के अनुरूप होनी चाहिए । जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, इस अवधि से संबंधित समस्त सूचना दी जानी चाहिए ।

12. निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच की शुरूआत से पूर्व या उसके बाद किसी समय कोई अतिरिक्त और/अथवा पूरक सूचना का अनुरोध कर सकते हैं ।

13. जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, समस्त सूचना संगत उत्पाद से जुड़ी होनी चाहिए ।

14. निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए जांच की शुरूआत के बारे में क्षति की मात्रा से संबंधित विस्तृत सूचना अपेक्षित होती है । प्रस्तुत किए जाने के लिए सामान्य तौर पर अपेक्षित सूचना का उल्लेख इन दिशा निर्देशों के भाग iv में किया गया है ।

15. आवेदन निम्नलिखित को संबोधित होना चाहिए :

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य मंत्रालय
उद्योग भवन,
नई दिल्ली– 110011

16. कृपया याचिका के साथ प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र ''च'' के अनुसार प्रमाण पत्र पूर्ण करें ।

भाग–I

आयातित उत्पाद के बारे में सूचना

कृपया उस सब्सिडीशुदा उत्पाद के बारे में पूर्ण सूचना प्रदान करें जिसके संबंध में भारत में आयात किए जाने का आरोप लगाया गया है । शिकायत के इस खंड में निम्नलिखित सूचना प्रासंगिक है :

1. आरोपित सब्सिडीशुदा वस्तु का संपूर्ण विवरण जिसमें उसके आकार, गुणवत्ता, श्रेणी तथा किसी प्रयोज्य तकनीकी विनिर्देशनों अथवा मानकों (राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय) और आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण, सीमाशुल्क वर्गीकरण के साथ ऐसी वस्तु का उपयोग, सीमाशुल्क, आयात नीति (अग्रिम लाइसेंसिग प्रावधानों सहित) शामिल हो ।

2. आरोपित सब्सिडीशुदा वस्तु के उद्गम का/के देश ।

3. नामजद देश (शों) से ऐसी वस्तु का भारतीय बाजार में कब से आयात किया जा रहा है और इसका आयात कब शुरू हुआ ।

4. क्या भारत को ऐसी वस्तु का यानांतरण तीसरे देशों के जरिए हुआ है ।

5. पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष की आज की तारीख तक वस्तु को सब्सिडी प्रदान करने के आरोपी प्रत्येक देश से भारत में आयातित ऐसी सब्सिडीशुदा वस्तु की मात्रा, मूल्य और औसत लागत बीमा एवं भाड़ा (सी आई एफ) मूल्य तथा उसकी सूचना का स्रोत ।

6. पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष की आज की तारीख तक वस्तु को सब्सिडी प्रदान न करने के आरोपी अन्य देशों से आयातित ऐसी वस्तु की मात्रा, मूल्य और औसत सी आई एफ मूल्य तथा उसकी सूचना का स्रोत।

7. ज्ञात निर्यातकों और आरोपित सब्सिडीशुदा वस्तु के विनिर्माताओं के नाम और पते।

8. भारत में आरोपित वस्तु के ज्ञात आयातकों के नाम और पते ।

9. भारत में आरोपित सब्सिडीशुदा वस्तु के प्रयोक्ताओं के नाम और पते ।

10. भारत में आरोपित सब्सिडीशुदा वस्तु की प्रयोक्ता एसोसिएशन के नाम और पते ।

टिप्पणीः आयातित वस्तु की मात्रा एवं मूल्य के बारे में तिथि का निर्धारण प्रकाशित स्रोतों अर्थात वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के प्रकाशनों, सीमाशुल्क दैनिक सूचियों और/अथवा अन्यथा उपलब्ध सूचना से किया जा सकता है । सूचना प्रस्तुत करते समय सूचना के स्रोत का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए ।

भाग–II

घरेलू उद्योग से संबंधित सूचना

कृपया संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग के बारे मे ंपूर्ण सूचना प्रदान करें । शिकायत के इस खंड के लिए निम्नलिखित सूचना प्रासंगिक है :

1. (क) आवेदन दायर करने वाले संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादकों के पंजीकृत कार्यालय, संपर्क व्यक्ति का नाम और पता, दूरभाष संख्या और फैक्स संख्या ।
(ख) आवेदक (कों) के कारखाने/विनिर्माण इकाई के संपर्क व्यक्ति का पता, दूरभाष सं. और फैक्स सं.

2. शिकायत दायर करने वाले संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादकों के दिल्ली कार्यालय, यदि कोई हो, संपर्क व्यक्ति का नाम और पता, दूरभाष संख्या और फैक्स संख्या ।

3. पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शिकायतकर्ता सहित समस्त भारतीय उत्पादकों के संबद्ध वस्तु के उत्पादन (मात्रा और मूल्य) सहित उनका नाम और पता ।

4. क्या उत्पाद के लिए व्यवहार्य स्थानापन्न मौजूद है । यदि हां, तो कृपया उक्त स्थानापन्न और स्थानापन्न की मात्रा के बारे में पूर्ण सूचना प्रदान करें ।

5. आवेदक (कों) द्वारा उत्पादित की जा रही संबद्ध वस्तु (आकार, प्रकार, रेंज, मॉडल सहित) । उन वस्तुओं का ब्यौरा जिनकां आवेदक उत्पादन करने में सक्षम है/हैं । उत्पाद लाइन को पूरा करने के लिए आवेदकों द्वारा खरीद की जा सकने वाली वस्तु का ब्यौरा ।

6. (क) क्या कोई आवेदक संबद्ध वस्तु का आयात करता है । यदि हां, तो कृपया पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष में आज की तारीख तक आयात की देशवार मात्रा और मूल्य का ब्यौरा दें ।

(ख) क्या कोई आवेदक आरोपित सब्सिडीशुदा वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित है । यदि हां, तो ऐसे संबंध का स्वरूप क्या है ।

7. आवेदक (कों) के उत्पाद और आरोपित सब्सिडीशुदा उत्पाद के बीच अंतर, यदि कोई हो, क्या हैं ? जितना व्यवहार्य हो, आयातित उत्पाद और आवेदक (कों) के उत्पाद में अंतर का पता लगाया जाए ।

8. कृपया याचिकाकर्ता (ओं) और निर्यातकों द्वारा प्रयुक्त उत्पादन प्रक्रिया में किसी अंतर का उल्लेख करें । कीमतों पर ऐसे अंतरों, यदि कोई हो, के प्रभाव की मात्रा का पता लगाना उचित होगा ।

9. आवेदक (कों) और ऐसे अन्य भारतीय उत्पादकों, जो इस आवेदन के पक्षकार नहीं हैं, के पिछले तीने वित्त वर्षों के दौरान तथा चालू वित्त वर्ष में आज की तारीख तक उत्पादन बंद रहने के ब्यौरे के साथ कुल भारतीय उत्पादन की मात्रा और मूल्य ।

भाग–III

सब्सिडी का साक्ष्य

कृपया आयातित संबद्ध वस्तु में सब्सिडी की मौजूदगी, उसके स्वरूप तथा राशि को प्रदर्शित करने के लिए पूर्ण सूचना प्रदान करें । शिकायत के इस खंड के लिए निम्नलिखित सूचना प्रासंगिक है :

क. प्राधिकरण का अभिज्ञान

कृपया सब्सिडी प्रदान करने वाले प्राधिकारण का पूरा ब्यौरा दें ।

(i) सरकार अथवा प्राधिकरण, केन्द्रीय या प्रान्तीय ।
(ii) देश के भूभाग के भीतर कार्यरत सार्वजनिक निकाय ।
(iii) गैर–सरकारी निकाय जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 तथा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के अर्थ के भीतर सब्सिडी प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं।

ख. सब्सिडी का स्वरूपः

कृप्या उपर्युक्त खंड ''क'' में उल्लिखित किसी या सभी निकायों द्वारा प्रदत्त सब्सिडी का ब्यौरा प्रदान करें ।

क्या सब्सिडी निम्नलिखित के द्वारा वित्तीय अंशदान के स्वरूप में है :

(i) निधियों अर्थात अनुदानों, ऋणों और इक्विटी प्राप्ति का प्रत्यक्ष हस्तांतरण
(ii) निधियों अथवा ऋण गारंटियों जैसी देयताओं का संभावित प्रत्यक्ष हस्तांतरण ।
(iii) अधित्यक्त या वसूल न किया गया राजस्व, जो अन्यथा देय था अर्थात कर क्रेडिट जैसे वित्तीय प्रोत्साहन ।
(iv) सामान्य अवसंरचना से इतर वस्तुओं या सेवाओं का प्रावधान ।
(v) बाजार कीमत से अधिक मूल्य पर वस्तु की खरीद ।
(vi) आयकर या प्रदत्त कीमत सहायता
(vii) निर्यात निष्पादन के लिए प्रासंगिक अन्य संवितरण
(viii) निर्यात वस्तु में आयातित वस्तु की तुलना में घरेलू वस्तु के उपयोग के लिए प्रासंगिक कोई संवितरण ।

टिप्पणी : खंड ''क'' में उल्लिखित निकायों में से किसी निकाय द्वारा सब्सिडी के रूप में वित्तीय अंशदान की अर्हता प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के नियम 11 के अर्थ के भीतर विशिष्ट होनी चाहिए और उसका लाभ प्रदान किया गया होना चाहिए ।

ग. अपेक्षित दस्तावेज

(i) जहां सब्सिडी किसी कानून या नियम के अनुसरण में प्रदान की जा रही है वहां ऐसे दस्तावेजों या उस सीमा तक कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा ।

(ii) जहां सब्सिडी कुछेक उद्यमों तक सीमित है और/अथवा उसका कुछ उद्यमों द्वारा बहुतायत में प्रयोग किया जाता है और/अथवा कुछ उद्यमों को अननुपातिक रूप से बड़ी राशि प्रदान की जाती है और/अथवा उसे प्रदान करने का ढंग ऐसा है जिसमें प्रदाता प्राधिकरण ने विवेक का इस्तेमाल किया है, वहां प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियम के अनुबंध ii के अर्थ के भीतर सब्सिडी की विशिष्टता का पता चलता है । सब्सिडी का पता लगाने के लिए तथ्यों के पूर्ण ब्यौरे प्रदान किए जाएं ।

घ. सब्सिडी की गणना

निर्यातक द्वारा प्राप्त की गई सब्सिडी की राशि की गणना प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के नियम 12 के अनुसार निम्नलिखित ढंग से की जाएगी :

(i) इक्विटी पूंजी के सरकारी प्रावधान पर उस स्थिति में सब्सिडी के रूप में विचार किया जाएगा जहां निवेश के निर्णय को निर्यातक देश के भूभाग में निजी निवेशकों के सामान्य निवेश संबंधी व्यवहार (जोखिम पूंजी के प्रावधान सहित) को असंगत माना जा सकता है ।

(ii) सरकार के ऋण को उस स्थिति में सब्सिडी माना जाएगा जहां सरकारी ऋण पर ऋण अदायगी प्राप्त करने वाली फर्म की राशि और तुलनीय वाणिज्यिक ऋण जिसे फर्म बाजार से वास्तव में प्राप्त कर सकती है, पर फर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि के बीच अंतर है । इस मामले में सब्सिडी इन दोनों राशियों के बीच का अंतर होगी ।

(iii) सरकार द्वारा ऋण गारंटी को उस स्थिति में सब्सिडी माना जाएगा, जहां गारंटी प्राप्तकर्ता फर्म सरकार द्वारा गारंटीशुदा ऋण का भुगतान करती है, उस भुगतान की राशि और तुलनीय वाणिज्यिक ऋण पर फर्म द्वारा

भुगतान की जाने वाली राशि के बीच अंतर हो । इस मामले में सब्सिडी इन दोनों राशियों के बीच का अंतर होगी ।

(iv) सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधान को उस स्थिति में सब्सिडी माना जाएगा जहां उसका प्रावधान पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए किया गया हो ।

(v) सरकार द्वारा वस्तु की खरीद को उस स्थिति में सब्सिडी माना जाएगा जहां ऐसी खरीद पर्याप्त पारिश्रमिक से अधिक के लिए की गई हो ।

भाग–IV

क्षति का साक्ष्य

कृपया इस बारे में पूर्ण सूचना प्रदान करें कि आरोपित सब्सिडीशुदा वस्तु के आयातों से घरेलू उद्योग को किस प्रकार वास्तविक क्षति हुई है अथवा क्षति होने का खतरा उत्पन्न हुआ है अथवा उसकी स्थापना में वास्तविक बाधा आई है । आवेदन के इस खंड के लिए निम्नलिखित सूचना प्रासंगिक है :

1. भारतीय उत्पादकों द्वारा धारित बाजार हिस्से में परिवर्तन;
2. संबद्ध देश (शों) से सवंर्धित आयात;
3. याचिकाकर्ता (ओं) के उत्पादन में अत्यधिक गिरावट;
4. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में अत्यधिक गिरावट (क्षमता का कम उपयोग);
5. याचिकाकर्ता (ओं) की बिक्री मात्रा में अत्यधिक गिरावट;
6. बिक्री कीमत (कीमत में कमी, कीमत कटौती, कीमत ह्रास या कीमत न्यूनीकरण का साक्ष्य);
7. गंवाई गई संविदाओं या कम हो रही बिक्रियों का साक्ष्य;
8. रोजगार (रोजगार के स्तर, आरोपित पाटित आयातों में वृद्धि के कारण कर्मचारियों की छंटनी);
9. लाभप्रदता (याचिकाकर्ता (ओं) तथा उद्योग के लिए लाभ के स्तर का पूर्ववृत्त)।

कृपया उपर्युक्त सूचना प्रपत्र iv क और iv ख के अनुसार दें ।

क्षति के साक्ष्य सहित विस्तृत सूचना में नियमावली के अनुबंध– I के पैरा 1 (5) में उल्लिखित समस्त संगत आर्थिक कारक शामिल होने चाहिए । यह पैरा नीचे पुनः उद्धृत है ।

''घरेलू उद्योग पर सब्सिडीशुदा आयातों के प्रभाव की जांच करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्से, लाभ, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों; नकद प्रवाह, निवेश, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभाव सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले समस्त संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का मूल्यांकन तथा कृषि के मामले में इस बात का मूल्यांकन शामिल होगा कि क्या सरकारी सहायता कार्यक्रमों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है । ''

तद्नुसार, नियमावली के अनुबंध– I में उल्लिखित समस्त मापदंडों के संबंध में क्षति की पुष्टि करने के लिए उत्पादकता, निवेश पर आय, सब्सिडी प्रदान करने की दर की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव को भी विशिष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

प्रपत्र iv क

घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में सूचना

कृपया समूची जांच अवधि और पूर्ववर्ती तीन वित्त वर्षों के लिए घरेलू उद्योग हेतु निम्नलिखित प्रपत्र में सूचना प्रदान करें :

क्र. सं.	विवरण	वर्ष I		वर्ष II		वर्ष III		जांच की अवधि	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	आयातक, *संबद्ध देश (शों) से *अन्य देश (शों) से								
2	स्थापित क्षमता								
3	उत्पादन								
4	क्षमता उपयोग								
5	आबद्ध खपत								
6	स्वदेशी बिक्री								
7	निर्यात बिक्री								
8	प्रारंभिक स्टॉक								
9	अंतिम स्टॉक								
10	बिक्री की लागत								
11	लाभ/हानि								
12	निवेश								
13	निवल मूल्य								
14	विस्तार के लिए पूंजी निवेश								
15	रोजगार (मानव शक्ति)								
16	मांग (1+ 5 +6)								
17	बाजार हिस्सा *								
18	अन्य कोई कारक								

टिप्पणियां :

1. कृपया माप की इकाई, जहां लागू हो, का उल्लेख करें ।
2. कृपया मांग के अनुमान का आधार बताएं यदि यह उपर्युक्त प्रपत्र में उल्लिखित आधार से भिन्न हो ।
3. कृपया समग्र कंपनी (यों) और इकाई (यों) तथा संदर्भाधीन विशिष्ट उत्पाद के लिए तीन वर्ष के तुलन पत्र एवं वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें जब कंपनी (यां) बहु इकाई तथा बहु उत्पाद कंपनी हो ।

* (स्वदेशी बिक्री मांग के प्रतिशत के रूप में घरेलू उद्योग की बिक्री होगी)

प्रपत्र iv ख

देशवार पहुंच मूल्य

निर्यात कीमत, सीमाशुल्क आदि का ब्यौरा प्रदान करें और प्रत्येक संबद्ध देश (शों) के लिए आरोपित सब्सिडीशुदा उत्पाद की प्रति इकाई आयात के पहुंच मूल्य की गणना करें :

निर्यातक देश का नामः

क. सं.	विवरण	वर्ष I		वर्ष II		वर्ष III		जांच की अवधि	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	औसत एफ ओ बी कीमत (अम.डा.)								
2	एफ ओ बी के बाद और सी आई एफ से पूर्व प्रभार 1. भाड़ा 2. बीमा 3. अन्य प्रभार								
3	औसत सी आई एफ कीमत (अम. डा.) (1 + 2)								
4	औसत विनिमय दर								
5	औसत सी आई एफ कीमत (रू.) (3* 4)								
6	उतराई प्रभार								
7	औसत निर्धारणीय मूल्य (5 + 6)								
8	सीमाशुल्क निकासी एवं हैंडलिंग प्रभार								
9	सीमाशुल्क i. मूल ii. आनुषंगिक iii. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क								
10	आयातित उत्पाद का पहुंच मूल्य (7 + 8 + 9)								
11	स्वदेशी उत्पाद की औसत बिक्री कीमत i. उत्पाद शुल्क सहित ii. उत्पाद शुल्क रहित								

टिप्पणीः

1. प्रत्येक निर्यातक देश के लिए अलग प्रपत्र प्रस्तुत किया जाए ।
2. सीमाशुल्क का ब्यौरा अलग से दिया जाए ।
3. समर्थनकारी आंकड़े/ब्यौरे संलग्न किए जाएं ।
4. एफ ओ बी कीमत के अभाव में अन्य चरण से विवरण तैयार किया जाए ।

भाग–V

कारणात्मक संबंध का साक्ष्य

कृपया उन कारकों के बारे में सूचना प्रदान करें जिनसे यह पुष्टि होती हो कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश (शों) से सब्सिडीशुदा आयात के कारण हुई है । सब्सिडीशुदा आयातों से इतर अन्य ऐसे कारकों को अलग से दर्शाया जाए जिनसे भी उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है । निम्नलिखित के बारे में सूचना प्रदान करें :

आवेदन के इस खंड के लिए निम्नलिखित सूचना प्रासंगिक है :

1. संबद्ध देश (शों) से इतर देश (शों) से आयातों की मात्रा और मूल्य तथा इस आशय का स्पष्टीकरण के इन देश (शों) से हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति क्यों नहीं हो रही है ।

2. पिछले तीन वर्षों और जांच अवधि के लिए उत्पाद की मांग । यदि मांग में भारी कमी आई है तो इस आशय का स्पष्टीकरण कि मांग में हुए परिवर्तनों से घरेलू उद्योग को क्षति क्यों नहीं हुई है ।

3. इस आशय का स्पष्टीकरण दें कि क्या विदेशी और घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहारों और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी विकास, घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन एवं उत्पादकता अथवा किसी अन्य ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है ।

भाग–VI

लागत निर्धारण संबंधी सूचना

कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित के बारे में सूचना प्रदान करें :

1. उत्पादन प्रक्रिया, विनिर्माण की चरणवार प्रक्रिया और विनिर्माण के विभिन्न तरीके । कृपया प्रत्येक प्रक्रिया में लिए गए चक्रीय समय को दर्शाते हुए चार्ट तैयार करें ।

2. प्रपत्र ''क'' के अनुसार कच्ची सामग्री तथा पैकिंग सामग्री की खपत और मिलान संबंधी विवरण ।

2. प्रपत्र ''ख'' के अनुसार कच्ची सामग्री की खपत के मानदंड तथा वास्तविक खपत के साथ तुलना ।

4. प्रपत्र ''ग I'' और ''ग II'' के अनुसार उत्पादन लागत को दर्शाने वाला विवरण। प्रपत्र ''ग I'' में दर्शाए गए व्यय को निर्धारित, परिवर्ती तथा अद्धपरिवर्ती में वर्गीकृत करते हुए एक विवरण । अर्द्ध परिवर्ती व्यय को आगे निर्धारित एवं परिवर्ती में वर्गीकृत किया जा सकता है । वर्गीकरण के आधार का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

5. जांच अवधि तथा पूर्ववर्ती 3 वर्षों के लिए प्रपत्र ''घ'' के अनुसार उपयोगिताओं की खपत का विवरण ।

6. कार्यशील पूंजी की निम्नानुसार गणना :

   क. तुलन पत्र के अनुसार कार्यशील पूंजी ।
   ख. बैंक सीमाओं के अनुसार कार्यशील पूंजी ।
   ग. उत्पादन चक्र समय के अनुसार कार्यशील पूंजी ।

7. सावधि ऋण पर ब्याज : वर्ष की शुरूआत, वर्ष के अंत में बकाया सावधि ऋण, उस पर संदत्त/संदेय ब्याज तथा सावधि ऋणों पर ब्याज की औसत दर का विवरण ।
8. बकाया और/अथवा चक्रवृद्धि ब्याज : जांच अवधि से संगत वार्षिक लेखा परीक्षित लेखों में किए गए प्रावधान के अनुसार बकाया और/अथवा चक्रवृद्धि ब्याज का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण ।
9. मूल्यह्रास : जांच अवधि और पूर्ववर्ती वर्ष के लिए सकल एवं निवल ब्लॉक को दर्शाने वाला विवरण ।

10. आय/लाभः पूंजी/इक्विटी पर वांछनीय आय और उसके समर्थन में औचित्य को दर्शाने वाला विवरण ।
11. वर्ष के दौरान अर्जित विविध आय का ब्यौरा ।
12. बिक्री प्राप्ति : सकल बिक्री प्राप्ति, छूट/कमीशन, उत्पाद शुल्क, अन्य कर एवं निवल बिक्री प्राप्ति के बारे में पिछले तीन वर्षों और जांच अवधि के लिए माह वार प्रपत्र ''ड.'' के अनुसार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण । ये आंकड़े तद्नुरूपी वर्षों के तुलन पत्र के अनुरूप होने चाहिए ।
13. जांच अवधि की शुरूआत और अंत में डब्ल्यू आई पी का ब्यौरा जिसमें सामग्री की लागत तथा मूल्यांकन में प्रभारित ऊपरी व्यय के ब्यौरे का स्पष्ट उल्लेख हो ।
14. निम्नलिखित के बारे में संक्षिप्त सूचना :

क. प्रमुख सामग्रियों के लिए दीर्घावधिक संविदाओं सहित क्रय नीति
ख. विपणन/वितरण माध्यमों, कमीशन/छूट नीति, ऋण शर्तें आदि, बल्क उपभोक्ताओं के लिए बिक्री नीति का उल्लेख करते हुए बिक्री नीति ।
ग. भंडारों की गणना तथा मालसूची/स्टॉक/डब्ल्यू आई पी का मूल्यांकन ।
घ. गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया तथा किए जा रहे परीक्षण ।

15. पिछले तीन वर्षों के लिए तथा जांच अवधि के लिए माहवार उत्पादन, बिक्री मात्रा, क्षमता उपयोग, स्टॉक, निवल औसत बिक्री प्रापित, उत्पादन लागत, लाभ/हानि को दर्शाने वाला विवरण ।
16. जांच अवधि के दौरान किया गया या कराया गया उजरती कार्य ।
17. जांच अवधि तथा पिछले तीन वर्षों के लिए लेखा परीक्षित तथा मुद्रित वार्षिक लेखे एवं जांच अवधि के लिए परीक्षण तुलन पत्र ।
18. पिछले तीन वर्षो और जांच अवधि के लिए नकद प्रवाह का विवरण ।

टिप्पणी :

1. समस्त सूचना जांच अवधि से संबंधित होनी चाहिए जब तक कि इस बारे में अन्यथा उल्लेख न हो ।
2. सूचना का संकलन यथासंभव कंपनी द्वारा रखे जा रहे वार्षिक लेखा परीक्षित लेखों और पूरक रिकॉर्डों से किया जाए ।
3. समस्त सूचना का सत्यापन किया जा सकता है और इसलिए कार्य पत्रकों सहित समस्त समर्थकारी कागजातों को निर्दिष्ट प्राधिकारी के सत्यापन हेतु सुरक्षित रखा जाए ।
4. सूचना को निर्धारित प्रपत्रों में प्रस्तुत करना चाहिए ।
5. लागत निर्धारण संबंधी सूचना की हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी (फ्लापी डिस्क/कम्पैक्ड डिस्क में) अनिवार्यतः भेजी जानी चाहिए ।

प्रपत्र ''क''

कच्ची सामग्री तथा पैकिंग सामग्री की खपत और उसके मिलान का विवरण

विवरण	प्रारंभिक स्टॉक मात्रा दर मूल्य	खरीद मात्रा दर मूल्य	अंतिम स्टॉक मात्रा दर मूल्य	खपत मात्रा दर मूल्य
कच्ची सामग्री (मद–वार)				
पैकिंग सामग्री (मद–वार)				
कुल				

टिप्पणी : यह विवरण जांच अवधि के लिए होना चाहिए ।

प्रपत्र ''ख''

कच्ची सामग्री की खपत का विवरण

विवरण	इकाई	मानक खपत उत्पादन की प्रति इकाई	उत्पादन की प्रति इकाई वास्तविक खपत वर्ष1 वर्ष2 वर्ष3	जांच अवधि के लिए औसत दर
कच्ची सामग्री (मद–वार)				
जांच अवधि के लिए दरों पर विचार करते हुए प्रति इकाई उत्पादन लागत				

प्रपत्र "ग I"

उत्पादन लागत का विवरण

	पूर्ववर्ती लेखा वर्ष	जांच अवधि
कंपनी का नाम स्थापित क्षमता		
वास्तविक उत्पादन		
क्षमता उपयोग (%)		
बिक्री (मात्रा)		
विवरण	पूर्ववर्ती लेखा वर्ष मात्रा दर मूल्य प्रति इकाई लागत	जांच अवधि मात्रा दर मूल्य प्रति इकाई लागत
विनिर्माण व्यय कच्ची सामग्री (प्रमुख कच्ची साम्रगी का उलेख करें) उपयोगिताएं मूल्यह्रास अन्य (कृपया व्यय के स्वरूप का उल्लेख करें)		
प्रशासनिक व्यय – परिवर्ती – निर्धारित		
बिक्री एवं वितरण व्यय – परिवर्ती – निर्धारित		
वित्तीय व्यय – परिवर्ती – निर्धारित		
घटाएं : विविध आय (संबद्ध उत्पाद से)		
बनाने और बेचने की कुल लागत		
बिक्री कीमत		
लाभ/हानि		

टिप्पणी : कृपया जहां लागू हो, इकाई का उल्लेख करें ।
इस प्रपत्र में दी गई सूचना का सत्यापन पेशेवर लागत लेखाकार द्वारा कराई जानी है ।

प्रपत्र "ग II"

व्यय का आवंटन और अनुपात

कृपया निम्नलिखित प्रपत्र के अनुसार कंपनी के कुल व्यय में से संबद्ध उत्पाद तथा अन्य उत्पादों को आवंटित राशि के साथ–साथ उसके आधार का ब्यौरा दें ।

क्र.सं.	व्यय का विवरण	वित्तीय लेखों के अनुसार कंपनी/संयंत्र के लिए कुल	जांचाधीन उत्पाद पर लागू हिस्सा	विचाराधीन उत्पाद के लिए अनावंटित/आनुपातिक हिस्सा	आवंटन/अनुपात का आधार*
1	2	3	4	5	6
कच्ची सामग्री (मद वार) खपत योग्य भंडार तथा कलपुर्जे/अन्य निविष्टियां उपयोगिताएं (विद्युत, ईंधन, भाप आदि) प्रत्यक्ष श्रम विनिर्माण ऊपरी व्यय (मुख्य शीर्षों के अंतर्गत निर्दिष्ट करें) अनुसंधान व विकास प्रशासनिक ऊपरी व्यय बिक्री व वितरण लागत मूल्यह्रास वित्तीय व्यय अन्य विविध व्यय कुल व्यय बिक्री अन्य आय कुल आय लाभ/हानि					

टिप्पणी :

1. इस प्रपत्र में दी गई सूचना का सत्यापन पेशेवर लागत लेखाकार द्वारा कराई जानी है ।
2. आय और व्यय के समस्त मदों का मिलान वार्षिक लेखों से किया जाएगा ।
3. * ऊपरी लागत/सामान्य लागत के आवंटन/अनुपात का आधार और तरीका कंपनी की सुसंगत पद्धति के अनुसार होने चाहिए ।

प्रपत्र ''घ''

उपयोगिताओं की खपत का विवरण

विवरण	खपत मानक (उत्पादन की प्रति इकाई)	वास्तविक खपत (उत्पादन की प्रति इकाई) वर्ष 1 वर्ष2 वर्ष 3	जांच अवधि इकई दर
(क) विद्युत			
(ख) जल			
(ग) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)			
जांच अवधि की दरों को देखते हुए कुल लागत			

टिप्पणी : ब्यौरे कंपनी द्वारा खरीदी गई और प्रदत्त उपयोगिताओं की मदों के संबंध में होने चाहिए ।

दरें जांच अवधि के लिए औसत लागत होनी चाहिए ।

प्रपत्र ''ड.''

बिक्री संबंधों का विवरण

बिक्री वर्ष	बेची गई मात्रा	सकल बिक्री (रूपए)	छूट / कमीशन (रूपए)	उत्पाद शुल्क (रूपए)	निवल बिक्री प्राप्ति (रूपए)	प्रति इकाई निवल बिक्री प्राप्ति (रूपए)
वर्ष 1						
वर्ष 2						
वर्ष 3						
जांच अवधि						

1. जांच अवधि (माह वार) और जांच अवधि के लिए कुल
2. बिक्री मूल्य वित्तीय रिकॉर्डों के अनुसार और कंपनी द्वारा अपनाई गई राजस्व मान्यता पद्धति के सुसंगत होना चाहिए ।

प्रपत्र ''च.''

प्रमाण पत्र

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि इस अनुरोध में निहित सूचना कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए और सामान्यतः रखे गए रिकॉर्डों के आधार पर मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं और इसमें किसी बात को छुपाया या गलत दर्शाया नहीं गया है ।

दिनांक ——————————— ——————————————

हस्ताक्षर

——————————————

(नाम/पदनाम)

टिप्पणी : (1) इस पृष्ठ को पूर्ण कर अपनी याचिका की शुरूआत में जोड़ा जाए ।
(2) यह प्रमाण पत्र कंपनी के मुख्य कार्यकारी/फर्म के निदेशकों/भागीदारों अथवा स्वामी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए ।